राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 1(3)(40)स्था / निमअ / 2012 / पार्ट–1 / 10779 जयपुर, दिनांक : 29/6/2020

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर भर्ती परीक्षा–2013 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ एवं कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशालय महिला अधिकारिता में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(1)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600 / – प्रतिमाह एवं परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

क्र. सं.	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी, लिंग	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थल
1.	834658	1061	श्री नरेन्द्र कुमार बरकेसिया	श्री रेखाराम बरकेसिया	पुरूष	13.03.1987	ओबीसी, सामान्य	कार्यालय उप निदेशक, म.अ., बीकानेर
2.	146355	1090	श्री जितेन्द्र कुमार कुमावत	श्री हुक्मी चन्द कुमावत	पुरूष	04.05.1994	ओबीसी, सामान्य	कार्यालय सहायक निदेशक, म.अ., चूरू
3.	2158550	18444	श्री सिद्धार्थ रातावाल	श्री नेतराम रातावाल	पुरूष	18.08.2000	एस.सी	निदेशालय म.अ.,
4.	1415839	18839	श्री अमित कुमार	श्री रोहिताश्व कुमार	पुरूष	05.07.1994	एस.सी	कार्यालय सहायक निदेशक, म.अ., झालावाड़
5.	2270409	22402	श्री श्रीमोहन मीना	श्री रामकरण मीना	पुरूष	23.02.1994	एस.टी.	कार्यालय सहायक निदेशक, म.अ., बारां

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही हैः–

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उतर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। अपनी उपस्थिति पदस्थापित स्थान पर देवें। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11 / एसटी एससी ओबीसी एसबीसी / जा.प्र.प. / सामान्यअवि / 2015 / 54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10. 2015 एवं प0 11(204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011 / 68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11. 2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों / सत्यापन के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. परीवीक्षाकाल (Probationer-Trainee) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन व अन्य भत्ते देय होंगे।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा–2013 एवं परीक्षा 2018 में उपलब्ध कराये गये कनिष्ठ सहायक की क्रम योग्यता सूची के अनुसार योग्यता क्रम में ही रहेगी।
7. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।